भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

<u>प्रेस नोट</u>

सं.ईसीआई/प्रे.नो./22/2019 दिनांक : 28 फरवरी, 2019

विषय : मतदान के लिए पहचान के एक मात्र दस्तावेज के रूप में केवल फोटो मतदाता पर्चियां वैध नहीं होंगी।

निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) अथवा ग्यारह निर्दिष्ट फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज मतदान के लिए आवश्यक है।

भारत निर्वाचन आयोग ने निदेश दिया है कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में जिन सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) जारी किए गए हैं, उन्हें अपना मत डालने से पूर्व मतदान केंद्र में अपनी पहचान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। ईपीआईसी प्रस्तुत न कर पाने वाले निर्वाचकों को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। ग्यारह दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है :

क. पासपोर्ट,

ख. ड्राइविंग लाइसेंस,

ग. केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र,

घ. बैंक/डाकघर द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक,

ङ. पैन कार्ड,

च. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के अंतर्गत भारत के महापंजीयक (आरजीआई) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड,

छ. मनरेगा जॉब कार्ड,

ज. श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,

झ. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,

ञ. सांसदों/विधायकों/पार्षदों को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र, तथा

ट. आधार कार्ड।

प्रवासी निर्वाचकों को पहचान के लिए केवल अपना मूल पासपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त मतदाताओं की सहायता के लिए, आयोग ने अपने अधिकारियों को निदेश दिया है कि ईपीआईसी के मामले में, प्रविष्टियों में मामूली विसंगतियों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, बशर्ते कि ईपीआईसी द्वारा निर्वाचकों की पहचान स्थापित की जा सके। यदि कोई निर्वाचक किसी अन्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) द्वारा जारी किया गया ईपीआईसी प्रस्तुत करता है, तो ऐसा कार्ड भी पहचान के लिए स्वीकार्य होगा, बशर्ते कि उस निर्वाचक का नाम उस मतदान केंद्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में हो, जहां वह मतदान के लिए उपस्थित हुआ है। यदि फोटो आदि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान स्थापित करना संभव ना हो, तो निर्वाचक को उपर्युक्त वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

पूर्व में, आयोग ने फोटो मतदाता पर्ची (पीवीएस) को पहचान के एक दस्तावेज के रूप में अनुमति दी थी। तथापि, पहचान के एक मात्र दस्तावेज के रूप में इसके उपयोग के विरूद्ध दुरूपयोग के आधार पर अभ्यावेदन दिए गए हैं, क्योंकि फोटो मतदाता पर्चियों का मुद्रण नामावली को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात किया जाता है और इन्हें बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के माध्यम से मतदान दिवस से ठीक पहले वितरित किया जाता हैं। पीवीएस के डिजाइन में कोई सुरक्षा विशेषता शामिल नहीं होती है। वस्तुतः, फोटो मतदाता पर्ची को एक वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में आरम्भ किया गया था, क्योंकि पूर्ववर्ती वर्षों में ईपीआईसी की कवरेज पूरा नहीं हुई थी। फिलहाल 99% से अधिक निर्वाचकों के पास ईपीआईसी है, और 99% से भी अधिक वयस्कों को आधार कार्ड जारी किए गए हैं।

उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, आयोग ने अब यह निर्णय लिया है कि अब से पहचान के अकेले दस्तावेज के रूप में फोटो मतदान पर्चियों को मतदान के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। तथापि, जागरूकता पैदा करने की कवायद के रूप में फोटो मतदान पर्चियां तैयार की जाती रहेंगी और निर्वाचकों को जारी की जाती रहेंगी। निर्वाचकों को यह स्पष्ट करने

के उद्देश्य से कि मतदान के लिए पहचान के अकेले दस्तावेज के रूप में फोटो मतदान पर्चियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, फोटो मतदाता पर्ची पर बड़े-बड़े अक्षरों में निम्नलिखित शब्द मुद्रित होगें। ''मतदान केंद्र में यह पर्ची पहचान के प्रयोजन के लिए स्वीकार नहीं की जाएगी। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप मतदान के लिए ईपीआईसी या आयोग द्वारा निर्दिष्ट वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज लाएं''।

सभी रिटर्निंग अधिकारियों और पीठासीन अधिकारियों को इन अनुदेशों के बारे में सूचित किया जा रहा है। प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को स्थानीय भाषा में अनूदित अनुदेशों की एक प्रति दी जाएगी। आयोग ने निदेश दिया है कि जन - जागरूकता के लिए मतदान के दिन तक नियमित अंतराल पर राजपत्र अधिसूचनाओं के माध्यम से एवं प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से तत्काल इस आदेश को प्रचारित किया जाए।

(पवन दीवान)
अवर सचिव